



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14697

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2032 वर्ष 2026

अजीत यादव उर्फ बिक्की यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अरविंद प्रबोध दुबे

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या 679 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 115(2), 191(2), 191(3), 103(2), 190 बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग बीस घंटे विलंबित है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। उसका नाम बाद में मुखबिर के पुत्र राहुल द्वारा देखी गई कुछ फुटेज में सामने आया है। आवेदक का नाम बाद में एक विचार (afterthought) के रूप में जोड़ा गया है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी (general and omnibus) आरोप हैं। आवेदक को कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य (overt act) नहीं सौंपा गया है।
6. एक डॉक्टर शांतनु का बयान है, जिन्होंने दुर्गावती अस्पताल, गोरखपुर में घायल व्यक्तियों का उपचार किया था। उन्होंने कहा है कि मुखबिर ने उन्हें बताया था कि मृतक को सड़क दुर्घटना में चोटें आई थीं, अतः वह जमानत का हकदार है।
7. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 02.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं किया जा सका।
9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, डॉक्टर के बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक उसमें नामित नहीं है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- अजीत यादव उर्फ बिककी यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।
(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।